न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री सगदर सिंह भाटी ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 156 / 2025

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

प्रार्थी

1. अचलाराम पुत्र हुक्माराम
2. जगराम पुत्र हुक्माराम
3. भीखाराम पुत्र हुक्माराम
4. मूलाराम पुत्र हुक्माराम (फौत)

के कायम मुकाम

4 / 1– धनाराम पुत्र मूलाराम
4 / 2– पेमाराम पुत्र मूलाराम
4 / 3– हरखाराम पुत्र मूलाराम
4 / 4– चुतराराम पुत्र मूलाराम
4 / 5– कमलादेवी पुत्री मूलाराम
4 / 6– नेनूदेवी पुत्री मूलाराम

5. वालाराम पुत्र भेराराम
6. हरजीराम पुत्र भेराराम

जातियान सुथार निवासी चिड़िया सुथारो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1. चिमाराम पुत्र चेतनराम
2. बगाराम पुत्र चेतनराम
3. भानाराम पुत्र चेतनराम
4. राजोंदेवी पत्नि चेतनराम
5. देराजराम पुत्र शोभाराम
6. धूड़ाराम पुत्र शोभाराम
7. हडूमानराम पुत्र शोभाराम
8. हंजारीराम पुत्र शोभाराम
9. मगाराम पुत्र शोभाराम
10. रामाराम पुत्र शोभाराम
11. लच्छाराम पुत्र चौखाराम
12. ताजाराम पुत्र चौखाराम जातियान सुथार निवासी चिड़िया सुथारो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
13. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थित–

1. श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री रामजीवन विशनोई ,वकील विप्रार्थी संख्या 1,2,4,8,9 व 11 की ओर से।
3. विप्रार्थी सं. 13 के पैरोकार उप.।

Signature Not Verified

आदेश

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:13:13 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक– 04.12.2025

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है। विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1557 रकबा 3.3250 हैक्टयर ग्राम चिड़िया सुथारों की ढाणी तहसील सिणधरी में

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी की रहवास ढाणी, टांका व मवेशियो के वाड़े इत्यादि बने हुए है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थीगणकी खसरा संख्या 1559 रकबा 2.1196 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 12 की उक्त खसरो में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने मे समस्या आती है। विप्रार्थी संख्या 01 से 12 कदीमी रास्ते से चलनें से रोक टोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम चिड़िया सुथारों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1557 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकार्ड मे सरकारी खाते मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 01, 02,4,8,9,11 की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीवन विशनोई द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, परन्तु अपनी ओर से मौखिक कथन प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने से पुनः मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस की थी,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1557 रकबा 3.3250 हैक्टयर ग्राम चिड़िया सुथारों की ढाणी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी की रहवास ढाणी, टांका व मवेशियो के वाड़े इत्यादि बने हुए है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थीगण की खसरा संख्या 1559 रकबा 2.1196 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 12 की उक्त खसरो में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने मे समस्या आती है। विप्रार्थी संख्या 01 से 12 कदीमी रास्ते से चलनें से रोक टोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता आगे और कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी की प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्रांक 3198 दिनांक 28.11.2025 के अनुसार आवागमन हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:13:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सबसे निकटत्तम रास्ता पड़ौसी खसरा संख्या 1559 व 1561 में से सलग्न नक्शे में बरंग दर्शाये अनुसार है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। खसरा संख्या 1569 में प्रस्तावित रास्ता मौके पर खाली नहीं है एवं 20 मीटर लम्बाई गुणा 20 मीटर चौड़ाई में निर्माण है। खसरा संख्या 1561 में प्रस्तावित रास्ता मौके पर खाली है एवं किसी प्रकार को कोई निर्माण/अतिक्रमण नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की नितान्त आवश्यकता है। सभी विकल्पों पर गौर करने के उपरान्त संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाये अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया है। इससे कम दूरी का उपयुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 140 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर है। प्रार्थी ने अपनी दलील में यह भी कथन किया कि प्रार्थी के आवागमन को देखते हुए कम दूरी के तौर पर खसरा संख्या 1559 में विप्रार्थीगण के ढाणी को छोड़ते हुए भूमि रास्ते के रूप में स्वीकृत की जाती है तो वे भूमि के बदले भूमि दिये जाने को तेयार है।

4.इसके विपरीत वकील विप्राथीगण की बहस है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य विप्रार्थीगण की ढाणी बनी हुई है, ऐसी स्थिति में निकटतम दूरी के तौर पर खसरा संख्या 1561 से रास्ता प्रस्तावित करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जावे।

5.हमनें दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिर्पोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी खेत मौजा चिड़िया सुथारों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1557 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए खेत खसरा संख्या 1559 में रास्ता चाहा गया है, परन्तु उक्त प्रस्तावित भूमि के बीच ढाणी बनी हुई होने से तहसीलदार सिणधरी द्वारा खसरा संख्या 1561 में रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। जहां तक अधिनियम की मंशा के तहत प्रार्थी को रास्ते की नितान्तः आवश्यकता होने से रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत है, परन्तु सलंग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1559 व 1561 के प्रस्तावित भूमि का रकबे के काफी अन्तर आ रहा है तथा खसरा संख्या 1559 की तुलना में खसरा सं. 1561 की भूमि की लम्बाई भी अधिक है तथा खसरा संख्या 1561 के खातेदारान को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। प्रथम दृष्टया खसरा संख्या 1559 की प्रस्तावित भूमि का रक[illegible] पर बनी ढाणी की बाहरी सीमा से 20 फीट की दूरी को छ[illegible]रण सहित खसरा संख्या 1559 में रास्ता बरंग पील[illegible] की भूमि को रास्ते के रूप में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिसकी ताईद प्रार्थी स्वयं द्वारा अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:13:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

बहस के तथ्यों में की है। चूंकि समस्त पक्षकारान एक ही वर्ण वर्ग से होने से भूमि के बदले भूमि का निर्धारण किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

6.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम चिड़िया सुथारो की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1557 के खातेदारान के आवागमन हेतु रास्ते के रूप में खसरा संख्या 1559 में से प्रस्तावित भूमि के अनुरूप बीच में बनी ढाणी को छोड़ते हुए उसकी बाहरी सीमा से 20 फीट की दूरी रखते हुए कुल लम्बाई अनुसार 15 फीट चौड़ा मार्ग भूमि के परिमाप की गणना अनुसार सकल रकबा खसरा संख्या 1557 से कम करते हुए खसरा संख्या 1559 के खातेदारान को उसके खेत के लगती हुई सीमा पर खातेदारी में अमल दरामद के साथ मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग पीला ———दरसाये परिक्षेत्र अनुसार रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांकःभू.अ./वाद/2025/3198 दिनांक 28.11.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(समदर सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 04.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:13:13 IST
Reason: SelfAttested